

दिनांक 03-09-2016 को कर्मचारी चयन आयोग(उ.पू.क्षे.), गुवाहाटी की क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा



भारत सरकार/Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/Department of Personnel & Training)
कर्मचारी चयन आयोग (उत्तर पूर्व क्षेत्र)
STAFF SELECTION COMMISSION
(North Eastern Region)

क्षेत्रीय निदेशक(उ.पू.क्षे.) का कार्यालय,
हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, पहला मंजिल, वेस्ट एंड बिल्डिंग ब्लॉक, वेलतला- बशिष्ठ रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006।

Office of the Regional Director (NER)
Housefed Complex, 1st floor, West End Building Block, Beltola-Basistha Road, Dispur, Guwahati-781006.

तार/Tel:0361-2224779/2228929. फैक्स/FAX-0361-2224779.

वेबसाइट/Website:www.sscner.org.in ई-मेल/E-mail: sscnergawahati@gmail.com.



भर्ती-नोटिस

विज्ञप्ति संख्या 1/2016-उ.पू.क्षे.

संख्या.क.च.आ.गु.-ए-12024/47/2016/भर्ती-नोटिस

अन्तिम तिथि: **02-10-2016**(अपराहन 05.00 बजे तक)

“सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिस में लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है”।

अर्हता प्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों नोटिस के पैरा-6 में दर्शाये गये राष्ट्रीयता/नागरिकता के विषय में, इस नोटिस के पैरा-4 में दर्शाये गये चयनित पदों के बारे में आवेदन मंगाए जा रहे हैं।

सिर्फ वेबसाइट <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost/> पर एवं ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र के छपाई कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेजों संबंधित एस.एस.सि. क्षेत्रीय कार्यालय में उल्लिखित समय के अंदर को ही स्वीकार किया जाएगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया दो अवस्था में है- (i) Registration Part एवं (ii) Application Part.

2. उम्मीदवारों ने भर्ती अधिसूचना के माध्यम से पद के लिए आवेदन करने से पहले सावधानी से जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि वे उम्र-सीमा/आवश्यक योग्यता (EQs) की तरह सभी पात्रता शर्तों को पूरा अनुभव / जाति / श्रेणी आदि के रूप में इस सूचना में संकेत दिया। पात्रता शर्तों को पूरा नहीं उम्मीदवारों की उम्मीदवारी की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी सूचना के किसी भी चरण पर निरस्त किया जा करने के लिए उत्तरदायी है। आवेदकों की उम्मीदवारी की भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में विशुद्ध रूप से अनंतिम किया जाएगा।

3. इस भर्ती के लिए संबंधित सभी जानकारी सही अनुप्रयोग यूटरशिप की स्थिति से उपयोगकर्ता के लिए OMR/कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रावधिक पात्र उम्मीदवारों के लिए वेबसाइट के कर्मचारी चयन आयोग पर , उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अर्थात् http उपलब्ध हो जाएगा कॉल पत्र सहित विभाग के लिए चयनित उम्मीदवारों का नामांकन:www.sscner.org.in. उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए बार-बार कहा कि वेब साइट पर जाएँ करने के लिए सलाह दी जाती है।

नोट:-उम्मीदवारों को उनके सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नंबर में ऑनलाइन आवेदन सभी पत्राचार द्वारा एसएमएस के माध्यम से ई-मेल/केवल आयोग बनाया जाएगा के रूप में भरने के लिए परामर्श भी कर रहे हैं।

4. पदों का ब्यौरा:

(i) पद संवर्ग सं.NE10116

ए	पद का नाम	: प्रयोगशाला सहायक/Laboratory Assistant
बी	पदों का वर्गीकरण	: केंद्रीय सामान्य सेवा की अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय के समूह “ग” वर्ग
सी	रिक्तियाँ	: अनारक्षित-02
डी	विभाग	: कृषि विभाग, सहयोग एवं कृषक कल्याणकारी
ई	आयु	: 25 वर्ष से ज्यादा न हो (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्षों तक का आयु के लिए छुट)
एफ	वेतन मान	: वेतन बैंड-1 में, 5200-20200/- रुपए + ग्रेड वेतन 1900/- रुपए (पूर्व-संशोधित)
जी	आवश्यक योग्यता	: (i) मध्यवर्ती या वरिष्ठ माध्यमिक या 12 वीं विज्ञान या कृषि के साथ विषयों किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से गुजरें। (ii) तीन साल में प्रयोगशाला काम किसी भी उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) , के अंतर्गत पंजीकृत 1985 प्रयोगशाला या किसी भी सरकारी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में अनुभव।

एच वांछनीय योग्यता : रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान या कृषि या कृषि के क्षेत्र में डिप्लोमा में स्नातक की डिग्री।
 आई प्रारम्भिक तैनाती : जैविक खेती, इम्फाल (मणिपुर) के क्षेत्रीय केंद्र।
 जे नौकरी की आवश्यकता : Biofertilisers, जैविक खाद, वर्मी & अलग प्रयोगशाला में जैविक आदानों का गुणवत्ता परीक्षण में सहायता करने के लिए, अलगाव और प्रभावी सूक्ष्मजीवों के अलग उपभेदों के प्रमाणीकरण प्राथमिक नमूना तैयार करने, उपकरणों के रखरखाव और रखरखाव के माध्यम से जैविक खेती और अलग अलग समाधान & dilutions बनाने के साथ संबंधित। जैविक खेती आदि घर में मुद्रण, बाध्यकारी, और अन्य संबंधित मदद या सहायता के माध्यम से पर तकनीकी साहित्य तैयार करने में मदद करने के लिए।

के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए अनुदेश : (चाहे पोस्ट की पहचान की है [शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्लुडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/ उपयुक्त नहीं (स्वीकार्य विकलांगता के विवरण के साथ)] पोस्ट की पहचान की है OH(OA, OL) & HH(partially deaf) के लिए उपयुक्त

(ii) **पद संवर्ग सं. NE10216**

ए पद का नाम : लेखाकार/Accountant
 बी पदों का वर्गीकरण : केंद्रीय सामान्य सेवा की अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय के समूह "ग" वर्ग
 सी रिक्तियाँ : अनारक्षित-01
 डी विभाग : कृषि विभाग, सहयोग एवं कृषक कल्याणकारी
 ई आयु : 18-27 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्षों तक का आयु के लिए छुट)
 एफ वेतन मान : वेतन बैंड-1 में, 5200-20200/- रुपए + ग्रेड वेतन 2800/- रुपए (पूर्व-संशोधित)
 जी आवश्यक योग्यता : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की डिग्री।
 2. दो वर्ष में नकदी का अनुभव, एक सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त शरीर या सांविधिक निकाय में काम खाता और बजट।
 एच वांछनीय योग्यता : शून्य।
 आई प्रारम्भिक तैनाती : जैविक खेती, इम्फाल (मणिपुर) के क्षेत्रीय केंद्र।
 जे नौकरी की आवश्यकता : सभी खाते शुरू करने के लिए काम करता है और अन्य व्यवस्थापकीय/स्थापना काम करता है से संबंधित।

के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए अनुदेश : (चाहे पोस्ट की पहचान की है [शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्लुडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/ उपयुक्त नहीं (स्वीकार्य विकलांगता के विवरण के साथ)] पोस्ट की पहचान की है OH(OA, OL) & HH(partially deaf) के लिए उपयुक्त

(iii) **पद संवर्ग सं. NE10316**

ए पद का नाम : प्रयोगशाला सहायक/Laboratory Assistant
 बी पदों का वर्गीकरण : केंद्रीय सामान्य सेवा की अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय के समूह "ग" वर्ग
 सी रिक्तियाँ : अ.पि.व.-01
 डी विभाग : भारतीय प्राणी सर्वेक्षण/Zoological Survey of India
 ई आयु : 27 वर्ष से ज्यादा न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश या आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का आयु के लिए छुट)
 एफ वेतन मान : वेतन बैंड-1 में, 5200-20200/- रुपए + ग्रेड वेतन 2000/- रुपए (पूर्व-संशोधित)

जी	आवश्यक योग्यता	: उच्चतर माध्यमिक (10+2 साल कोर्स) या समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इस विषय में से एक के रूप में जीव विज्ञान के साथ।
एच	वांछनीय योग्यता	: (i) हैंडलिंग और एक प्राणी प्रयोगशाला में उपकरणों के रखरखाव के साथ परिचित। (ii) प्राणी fixatives और दाग की तैयारी का ज्ञान। (iii) हिन्दी लिखने और पढ़ने की क्षमता।
आई	प्रारम्भिक तैनाती	: एन ई आर सी, शिलांग, मेघालय।
जे	नौकरी की आवश्यकता	: i) समुचित रखरखाव प्रयोगशालाओं और उपकरणों के। ii) अनुभागीय काम के लिए आवश्यक सामग्री की तैयारी। iii) उचित रखरखाव प्रयोगशाला उपकरणों की। iv) अनुभागीय काम के लिए आवश्यक सामग्री की तैयारी। v) रखरखाव प्रयोगशाला की पवित्रता। vi) किसी भी अन्य कार्य सुपुर्द (assign) किया गया।
के	शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए अनुदेश (चाहे पोस्ट की पहचान की है [शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/ उपयुक्त नहीं (स्वीकार्य विकलांगता के विवरण के साथ)]	: पोस्ट की पहचान की है PH उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं।

(iv) **पद संवर्ग सं. NE10416**

ए	पद का नाम	: वरिष्ठ तकनीकी सहायक/Senior Technical Assistant
बी	पदों का वर्गीकरण	: केंद्रीय सामान्य सेवा की अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय के समूह "ख" वर्ग
सी	रिक्तियाँ	: 01 (अनारक्षित)
डी	विभाग	: उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय / North Eastern Council Secretariat
ई	आयु	: 30 वर्ष से ज्यादा न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेश के अनुसार सरकार कर्मचारियों की आयु सीमा में पांच साल तक की छुट)।
एफ	वेतन मान	: वेतन बैंड-2 में, 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए (पूर्व-संशोधित)
जी	आवश्यक योग्यता	: (क) में मास्टर डिग्री भौतिकी/गणित/भूभौतिकी/सांख्यिकी/भूविज्ञान या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समकक्ष से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।
एच	वांछनीय योग्यता	: तीन साल का संग्रह और वैज्ञानिक डेटा के विश्लेषण में अनुभव।
आई	प्रारम्भिक तैनाती	: उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, नॉनग्रिम हिल्स, शिलांग, मेघालय।
जे	नौकरी की आवश्यकता	: वह ले लीजिए और वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण और इस सचिवालय में संबंधित विषय क्षेत्रों के लिए और योजना विभाग को सही जानकारी प्रदान करते हैं जो इस सांविधिक क्षेत्रीय योजना निकाय नियम/विनियम/सम्मेलनों में भारत सरकार में बल के अनुसार नेर के लिए करना चाहिए है प्रासंगिक क्षेत्रों में आर्थिक नियोजन के लिए करेंगे।
के	शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए अनुदेश (चाहे पोस्ट की पहचान की है [शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/ उपयुक्त नहीं (स्वीकार्य विकलांगता के विवरण के साथ)]	: पोस्ट की पहचान की है PH (पीडब्ल्यूडी) के लिए उपयुक्त नहीं।

(v) **पद संवर्ग सं. NE10516**

ए	पद का नाम	: तकनीकी अधीक्षक (बुनाई)/ Technical Superintendent (Weaving)
बी	पदों का वर्गीकरण	: केंद्रीय सामान्य सेवा की अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय के समूह "ख" वर्ग
सी	रिक्तियाँ	: 01 (अ.पि.व.)

डी	विभाग	:	वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत बुनकरों सेवा केंद्र।
ई	आयु	:	30 वर्ष से ज्यादा न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेश के अनुसार सरकार कर्मचारियों की आयु सीमा में पांच साल तक की छुठ। ऊपरी आयु सीमा में ओबीसी के लिए 3 साल और विभागीय उम्मीदवारों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 साल तक छुठ उपलब्ध है)
एफ	वेतन मान	:	वेतन बैंड-2 में, 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए (पूर्व-संशोधित)
जी	आवश्यक योग्यता	:	(i) तीन साल में हथकरघा प्रौद्योगिकी या हथकरघा और कपड़ा तकनीक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिप्लोमा या वस्त्र प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री ; (ii) दो साल व्यावहारिक बदलाव-इन-चार्ज के रूप में डिग्री धारकों और तीन साल के लिए एक वस्त्र बुनाई या उत्पादन प्रतिष्ठान या निगम या संस्था में डिप्लोमा धारकों के लिए अनुभव , जो, बाहर कम से कम एक वर्ष में हथकरघा होना चाहिए निपटने के सभी विभिन्न तकनीकों के उत्पादन के रूप में अच्छी तरह से विश्लेषण और की पारंपरिक किस्मों और सभी रेशों और उनके मिश्रणों के विशेष कपड़े सहित , समाप्ति, erecting और हथकरघा और हथकरघा सहायक उपकरण जैसे jacquards, dobbies, jalas और मार्गदर्शक और नए डिजाइन और textures रूप में अच्छी तरह के साथ कपड़े के उत्पादन में बुनकरों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के अनुभव के विभिन्न प्रकार के काम कर हथकरघा वस्त्रों के के रूप में बेहतर सामान और उत्पादन की उचित तकनीकों का उपयोग वाणिज्यिक नमूनों का उत्पादन का आयोजन।
एच	वांछनीय योग्यता	:	शून्य।
आई	प्रारम्भिक तैनाती	:	ईम्फल, मनिपुर।
जे	नौकरी की आवश्यकता	:	करघे में बुनाई खंड के कामकाज पर निगरानी करने के लिए। कपड़े की लागत से तैयार करने के लिए। बुनकरों के तकनीकी रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए व्यवस्थित करने के लिए। कपड़े पर कागज डिजाइन बिंदु का अनुवाद करने के लिए। विभिन्न घर में नजर रखने के लिए।
के	शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए अनुदेश (चाहे पोस्ट की पहचान की है [शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्लुडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/ उपयुक्त नहीं (स्वीकार्य विकलांगता के विवरण के साथ)])	:	पोस्ट की पहचान की है OH (OL, OA) के लिए उपयुक्त

(vi) **पद संवर्ग सं. NE10616**

ए	पद का नाम	:	तकनीकी अधीक्षक(प्रक्रिया)/ Technical Superintendent (Processing)
बी	पदों का वर्गीकरण	:	केंद्रीय सामान्य सेवा की अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय के समूह "ख" वर्ग
सी	रिक्तियाँ	:	04 (अनारक्षित-03, अ.पि.व.-01)
डी	विभाग	:	वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत बुनकरों सेवा केंद्र।
ई	आयु	:	30 वर्ष से ज्यादा न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेश के अनुसार सरकार कर्मचारियों की आयु सीमा में पांच साल तक की छुठ। ऊपरी आयु सीमा में ओबीसी के लिए 3 साल और विभागीय उम्मीदवारों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 साल तक छुठ उपलब्ध है)
एफ	वेतन मान	:	वेतन बैंड-2 में, 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए (पूर्व-संशोधित)
जी	आवश्यक योग्यता	:	(i) चार साल में वस्त्र प्रसंस्करण या वस्त्र रसायन विज्ञान या स्नातक के इंजीनियरिंग/बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वस्त्र प्रसंस्करण या वस्त्र किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री; (ii) दो वर्षों का अनुभव एक Shift-में-प्रभार/डायर/Bleacher/कार्य का अंत करनेवाला के रूप में/Dyeing मुख्य / सहायक मुद्रण मास्टर/वस्त्र प्रसंस्करण / प्रयोगशाला तकनीशियन / प्रदर्शक (प्रोसेसिंग) / पर्यवेक्षक , विरंजन या रंगाई या मुद्रण या आदि एक कपड़ा

फैक्टरी/प्रसंस्करण या डाई प्रसंस्करण में परिष्करण से संबंधित से निपटने काम घर/रंगाई प्रयोगशाला/हथकरघा स्थापना। या

(i) में हथकरघा प्रौद्योगिकी या में हथकरघा और वस्त्र प्रौद्योगिकी एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिप्लोमा डिप्लोमा; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिप्लोमा वस्त्र रसायन विज्ञान या वस्त्र प्रसंस्करण में पोस्ट ; (iii) दो वर्षों का अनुभव एक Shift-में-प्रभार/डायर/Bleacher/कार्य का अंत करनेवाला के रूप में/Dyeing मुख्य / सहायक मुद्रण मास्टर/वस्त्र प्रसंस्करण / प्रयोगशाला तकनीशियन / प्रदर्शक (प्रोसेसिंग) / पर्यवेक्षक, विरंजन या रंगाई या मुद्रण या एक कपड़ा फैक्टरी/प्रसंस्करण या डाई प्रसंस्करण में परिष्करण से संबंधित से निपटने काम घर/रंगाई प्रयोगशाला/हथकरघा स्थापना।

एच	वांछनीय योग्यता	:	शून्य।
आई	प्रारम्भिक तैनाती	:	गुवाहाटी, ईम्फल, आगरतला और कलकाता।
जे	नौकरी की आवश्यकता	:	Dyeing और अनुभाग मुद्रण के काम पर निगरानी करने के लिए। प्रिंटर्स, डायर पर दिशा-निर्देश देने के लिए। आचरण और विभिन्न घर में निगरानी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रंगाई और आदि मुद्रण फ्रील्ड करने के लिए।
के	शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए अनुदेश (चाहे पोस्ट की पहचान की है [शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/ उपयुक्त नहीं (स्वीकार्य विकलांगता के विवरण के साथ)]	:	पोस्ट की पहचान की है PH (पीडब्ल्यूडी) के लिए उपयुक्त नहीं।

(vii) **पद संवर्ग सं. NE10716**

ए	पद का नाम	:	टेक्सटाईल डिजायनर/ Textile Designer
बी	पदों का वर्गीकरण	:	केंद्रीय सामान्य सेवा की अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय के समूह "ख" वर्ग
सी	रिक्तियाँ	:	02 (अनारक्षित-01, शा.वि.-01)
डी	विभाग	:	वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत बुनकरों सेवा केंद्र।
ई	आयु	:	30 वर्ष से ज्यादा न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेश के अनुसार सरकार कर्मचारियों की आयु सीमा में पांच साल तक की छूट। ऊपरी आयु सीमा में ओबीसी के लिए 3 साल और विभागीय उम्मीदवारों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 साल तक छूट उपलब्ध है)
एफ	वेतन मान	:	वेतन बैंड-2 में, 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए (पूर्व-संशोधित)
जी	आवश्यक योग्यता	:	(i) वस्त्र डिजाइन या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में वस्त्र डिजाइन के साथ ललित कला में स्नातक की डिग्री ; (ii) दो साल वस्त्र उपयुक्त रूपांकनों और रंग संयोजन के रूप में अच्छी तरह से जर्नी बाहर कागज और एक हथकरघा प्रतिष्ठान में या एक डाई हाउस में कपड़े पर डिजाइन के साथ डिजाइन के क्षेत्र में एक डिजाइनर के रूप में अनुभव। या (i) तीन साल डिप्लोमा ललित कला में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में वस्त्र डिजाइन के साथ ; (ii) तीन साल का कपड़ा उपयुक्त रूपांकनों और रंग संयोजन के रूप में अच्छी तरह से जर्नी बाहर कागज और एक हथकरघा प्रतिष्ठान में या एक डाई हाउस में कपड़े पर डिजाइन के साथ डिजाइन के क्षेत्र में एक डिजाइनर के रूप में अनुभव।
एच	वांछनीय योग्यता	:	शून्य।
आई	प्रारम्भिक तैनाती	:	ईम्फल और गुवाहाटी।
जे	नौकरी की आवश्यकता	:	1. उपयुक्त रूपांकनों तैयार और रंग संयोजन के रूप में अच्छी तरह से करना-बहिष्कार के डिजाइन और फैब्रिक में कागज पर मैनुअल रूप से करना और भी कंप्यूटर तैयार करने के लिए वस्त्र डिजाइन सहायता प्राप्त।

2. विभिन्न हथकरघा और शिल्प केंद्रों , संग्रहालय और अन्य स्रोतों से एकत्र नमूनों और डिजाइन करने के लिए।

के शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए अनुदेश :
(चाहे पोस्ट की पहचान की है [शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्लुडी) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त/ उपयुक्त नहीं (स्वीकार्य विकलांगता के विवरण के साथ)] पोस्ट की पहचान की है PH-OH (OL, OA) के लिए उपयुक्त

टिप्पणी-I: संबंधित इंडेंट करना कार्यालय द्वारा प्रस्तुत इंडेंट के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्त पद विज्ञापित किया गया है । इंडेंट करना कार्यालयों द्वारा रिक्तियों का आहरण/परिवर्तन के लिए कर्मचारी चयन आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

टिप्पणी-II: उम्मीदवारों जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक अलग-अलग प्रत्येक पोस्ट के लिए लागू करते हैं और प्रत्येक पद के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

5. इस्तेमाल किया संकेताक्षर:

अ.पि.व.: अन्य पिछरा वर्ग , अनु.जाति: अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति: अनुसूचित जनजाति, शा.वि.: शारीरिक विकलांग PH (PWD): शारीरिक रूप से विकलांग (विकलांग व्यक्तियों) , OH: शारीरिक अपंग, एच. एच.: श्रवण विकलांग , VH: नेत्रहीन विकलांग, OA: एक हाथ प्रभावित, राजभाषा: एक पैर प्रभावित, बीएल: दोनों पैर प्रभावित, PD: आंशिक रूप से बहरा, LV: कम दृष्टि।

6. राष्ट्रीयता/ नागरिकता

एक उम्मीदवार या तो होना चाहिए: भारत का नागरिक या नेपाल का एक विषय या भूटान का एक विषय या एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत के लिए , आया था या एक व्यक्ति भारतीय मूल का जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, के पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या , युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व Tanganyika और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से माइग्रेट है।

6.1. कि एक उम्मीदवार संबंधित श्रेणियों के लिए (ख), (ग), (घ) और (ई) इसके बाद के संस्करण एक व्यक्ति जिसके पक्ष में पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
6.2. जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है एक उम्मीदवार परीक्षा के लिए भर्ती किया जा सकता , लेकिन केवल उसे करने के लिए आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद नियुक्ति के प्रस्ताव की उम्मीदवार द्वारा उत्पादित के रूप में भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा।

7. परीक्षा शुल्क, शुल्क के भुगतान से छूट; और शुल्क के भुगतान का तरीका:

(ए). परीक्षा शुल्क: 100/- रुपये (सौ रुपये केवल) "एसबीआई नेट-बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड" या एसबीआई चालान के माध्यम से। किसी भी अन्य विधा के माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। शुल्क के बाद लागू किए गए प्रत्येक वर्ग के लिए अलग से भुगतान किया जाना चाहिए।

(वि). शुल्क के भुगतान से छूट:

सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व सैनिक , आरक्षण के लिए पात्र संबंधित उम्मीदवारों वर्तमान सरकारी आदेश के अनुसार आवेदन शुल्क भुगतान से छूट दी हैं।

8. ऑनलाइन आवेदन और भुगतान करने के लिए कैसे:

उम्मीदवार पोस्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

उम्मीदवार ध्यान दें कि केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost/> पर। किसी भी अन्य विधा के माध्यम से प्राप्त आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

उम्मीदवार केवल एक बार किसी भी पद के लिए आवेदन करना चाहिए। किसी भी एक पोस्ट के लिए एकाधिक अनुप्रयोगों के मामले में, सभी आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया परिशिष्ट -I (A) में दिया जाता है।

आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन को भरने के बाद और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद, उम्मीदवार आवेदन फार्म से एक प्रिंट आउट लेना चाहिए, एक ही पर हस्ताक्षर, एक ही तस्वीर को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए इस्तेमाल किया की एक प्रतिलिपि प्रत्यय और उम्र, आवश्यक योग्यता, अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां संलग्न करें, जहाँ यह आवश्यक योग्यता, जाति/श्रेणी के सबूत के रूप में निर्धारित है [SC/ST/OBC/PH (PWD) / EXS -नोटिस में दिए गए के रूप में प्रारूप में] में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया और एक ही शुल्क के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से दस दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुँचने के लिए नीचे उल्लिखित क्षेत्रीय निदेशक के पते पर भेजें।

क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्ष.),
कर्मचारी चयन आयोग,
हाउसफेड परिसर, दिसपुर,
वेलतला-बशिष्ट रोड,
गुवाहाटी-781006।

अपने अनुप्रयोगों में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी OMR/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद संदर्भ मूल दस्तावेजों के साथ आयोग द्वारा सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि किसी भी अनुप्रयोग में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत जानकारी गलत है, उसकी उम्मीदवारी तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। कोई अपील या ऐसी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के विरुद्ध अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन पत्र में सही जानकारी से सुसज्जित हैं।

महत्वपूर्ण: उम्मीदवारों को अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नंबर ऑनलाइन आवेदन में भरने के लिए सलाह दी जाती है क्योंकि ई-मेल/ एसएमएस के माध्यम से केवल आयोग से सभी पत्राचार किया जाएगा।

9. ऑनलाइन आवेदन भाग को भरने के लिए अंतिम तिथि है 02-10-2016 (अपराहन 05.00 बजे तक).

ऑनलाइन भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि है 02-10-2016 (अपराहन 05.00 बजे तक).

10. आवश्यक योग्यता (EQ) के लिए महत्वपूर्ण तारीख & आयु सीमा:

आवश्यक योग्यता (EQs) और प्रत्येक पोस्ट के लिए आयु सीमा इस नोटिस का पैरा - 4 में उल्लेख कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण तारीख के कब्जे का निर्धारण करने के लिए ' उम्र और आवश्यक योग्यता (EQs) / अनुभव ' पंजीकरण भाग/अनुप्रयोग अनुप्रयोग के भाग के ऊपर यानी भरने के लिए अंतिम तिथि हो जाएगा 02-10-2016.

पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों कि वे जहाँ भी यह आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित है अनुभव सहित आवश्यक योग्यता के अधिकारी और भी महत्वपूर्ण तारीख ऊपर पैरा 10(ii) में उल्लेख किया पर आयु सीमा के रूप में मिलना सुनिश्चित करना चाहिए।

जहाँ अनुभव एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक विशेष क्षेत्र/अनुशासन में एक अनिवार्य योग्यता के रूप में बता दिया गया है पोस्ट के लिए, आवेदकों सक्षम जो उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया हो जाएगा असफल अधिकारी आवेदन बाहर प्रिंट के साथ अनुभव के कब्जे में उस फ़ील्ड/अनुशासन के अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र की प्रति स्व अनुप्रमाणित प्रस्तुत करना चाहिए।

यदि उम्मीदवारों का दावा है कि उनकी शैक्षिक योग्यता निर्धारित आवश्यक योग्यता के बराबर कर रहे हैं, उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है यह आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्र (क्रम/पत्र संख्या & दिनांक के साथ) तुल्यता के समर्थन में, जो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिसमें से वे शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है प्रस्तुत करे, असफल साबित हुई तो उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

एक अनिवार्य योग्यता के रूप में प्रासंगिक भाषा में प्रवीणता की आवश्यकता पोस्ट (स) के संबंध में, आवेदक को चाहिए मैट्रिक स्तर तक उस भाषा का अध्ययन किया है और मामले में प्रासंगिक भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, कहा कि भाषा आवेदक की मातृ-भाषा होना चाहिए।

टिप्पणी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, खुले विश्वविद्यालयों/दूरी शिक्षा मोड के माध्यम से प्राप्त डिग्री दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना करने के लिए की जरूरत है। जब तक ऐसी डिग्री जब उम्मीदवारों योग्यता हासिल कर ली की संबंधित अवधि के लिए मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, उसके अनुसार, वे शैक्षिक योग्यता के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. आयु-सीमा और ऊपरी आयु सीमा पर छूट:

आयु सीमा की प्रत्येक श्रेणी पोस्ट के खिलाफ पैरा-4 में बताया गया है।

ए. उम्र के सबूत

जन्म तारीख के रूप में मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज उम्र का निर्धारण करने के लिए आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा और कोई क्रमिक अनुरोध बदलाव के लिए विचार या दिया नहीं जाएगा।

वि. ऊपर आयु सीमा में छूट

आवेदकों के पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है:

ऊपरी आयु सीमा में छूट केवल तभी स्वीकार्य है जब आवेदकों ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उसका दावा करते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र श्रेणी कोड को ही सही तरीके से भरते हैं।

'श्रेणी कोड', 'श्रेणी' और 'अनुमत आयु छूट इस सूचना के अनुच्छेद-4 पर वर्णित के रूप में ऊपरी आयु सीमा से परे' नीचे दिए गए हैं:-

आयु छूट कोड	श्रेणी	ऊपर आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट
समूह "ख" एवं "ग" वर्ग पदों के लिए		
01	अ.जा.	5 वर्ष
02	अ.ज.जा.	5 वर्ष
03	अ.पि.व.	3 वर्ष
04	शा.वि.	10 वर्ष
05	शा.वि. (अ.पि.व.)	13 वर्ष
06	शा.वि. (अ.जा.)	15 वर्ष
07	शा.वि. (अ.ज.जा.)	15 वर्ष
08	भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित/ सामान्य)	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष।
09	भूतपूर्व सैनिक (अ.पि.व.)	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3 वर्ष +3 वर्ष)।
10	भूतपूर्व सैनिक (अ.जा.)	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष (3 वर्ष +5 वर्ष)।
11	भूतपूर्व सैनिक (अ.ज.जा.)	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष (3 वर्ष +5 वर्ष)।

समूह "ख" वर्ग पदों के लिए		
12	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारि (अनारक्षित / सामान्य) जिन्होंने आवेदन प्राप्तिकी अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	05 वर्ष
13	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारि (अ.पि.व.) जिन्होंने आवेदन प्राप्तिकी अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	08 (5+3) वर्ष
14.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारि (अ.जा.) जिन्होंने आवेदन प्राप्तिकी अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	10 (5+5) वर्ष
15	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारि (अ.ज.जा.) जिन्होंने आवेदन प्राप्तिकी अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	10 (5+5) वर्ष
समूह "ग" वर्ग पदों के लिए		
16	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारि (अनारक्षित / सामान्य) जिन्होंने आवेदन प्राप्तिकी अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	40 वर्ष की आयु तक
17	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारि (अ.पि.व.) जिन्होंने आवेदन प्राप्तिकी अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	43 वर्ष की आयु तक
18	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारि (अ.जा.) जिन्होंने आवेदन प्राप्तिकी अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	45 वर्ष की आयु तक
19	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारि (अ.ज.जा.) जिन्होंने आवेदन प्राप्तिकी अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	45 वर्ष की आयु तक
समूह "ख" एवं "ग" वर्ग पदों के लिए		
20	अभ्यर्थी जो साधारणतः जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अनारक्षित / सामान्य)	5 वर्ष
21	अभ्यर्थी जो साधारणतः जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अ.पि.व.)	8 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतः जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अ.जा.)	10 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतः जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अ.ज.जा.)	10 वर्ष
समूह "ख" एवं "ग" वर्ग पदों के लिए		
24	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनःविवाह न किया हो (अनारक्षित / सामान्य)	35 वर्ष की आयु तक

25	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनःविवाह न किया हो (अ.पि.व.)	38 वर्ष की आयु तक
26	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनःविवाह न किया हो (अ.जा.)	40 वर्ष की आयु तक
27	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनःविवाह न किया हो (अ.ज.जा.)	40 वर्ष की आयु तक
28	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अनारक्षित / सामान्य)	5 वर्ष
29	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अ.पि.व.)	8 (5+3) वर्ष
30	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अ.जा.)	10 (5+5) वर्ष
31	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अ.ज.जा.)	10 (5+5) वर्ष
32	अन्य	भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गये आदेशानुसार।

टिप्पणी: आरक्षित श्रेणी आवेदकों के लिए आयु छूट केवल ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में स्वीकार्य है। आरक्षित श्रेणी आवेदकों, जो अनारक्षित श्रेणी के लिए का मतलब पदों के विरुद्ध आवेदन, आयु छूट पाने के लिए हकदार नहीं हैं।

12. शुल्क रियायत, उम्र-विश्राम, आरक्षण आदि की मांग पर शर्तें।

(ए). अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) आवेदकों के लिए

अनुसूचित जनजाति आवेदकों शुल्क रियायत , उम्र- छूट, आरक्षण आदि की मांग सदा ही , उनके आवेदन पत्र प्रिंट आउट के साथ प्रस्तुत करेगा, सक्षम प्राधिकारी से (परिशिष्ट- II इस नोटिस के) प्रारूप के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र (परिशिष्ट- I इस सूचना का) और उनके उप- जातियों /समुदायों पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर रहे हैं या अन्यथा आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से पहले अपने दावों के लिए शुल्क रियायत, उम्र- छूट, आरक्षण आदि नहीं माना जाएगा।

(वि). अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आवेदकों के लिए

ओबीसी आवेदकों, भारत सरकार के स्थायी अनुदेश के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत समय-समय पर संशोधन के रूप में शामिल नहीं, उम्र- छूट, आरक्षण आदि की मांग सदा ही , उनके आवेदन पत्र, बाहर प्रिंट के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रारूप (इस सूचना का परिशिष्ट-III) के अनुसार प्रस्तुत करेगा (परिशिष्ट-I इस सूचना का) और भी [परिशिष्ट -III(ए) इस नोटिस के] प्रारूप के अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत करेगा। वे यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके समुदाय ओबीसी की केंद्रीय सूची के अंतर्गत भारत सरकार

द्वारा अनुमोदित के लिए अलग-अलग राज्यों के रूप में गिर जाता है। वे भी उनके अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र नहीं तीन साल से पहले आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि से सूचना के अनुच्छेद-9 में वर्णित के रूप में जारी किए गए हैं कि यह सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा, उनके दावे के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति आयु छूट और आरक्षण के लिए दावे के साथ नहीं किया जायेगा और उनके अभ्यर्थिता /अनुप्रयोगों सामान्य श्रेणी (UR) के तहत विचार किया जाएगा।

सूचना के अनुच्छेद-9 पर उल्लिखित आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि गैर-क्रीमी लेयर की स्थिति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आवेदकों के लिए फैंसले की तारीख के रूप में इलाज किया जाएगा।

सी. शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) के लिए (विकलांग व्यक्तियों) [OH/HH/VH] आवेदक:

चाहे पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है या नहीं और स्वीकार्य विकलांगता की प्रकृति की प्रत्येक श्रेणी पोस्ट के आगे संकेत दिया है। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों केवल जिसके लिए वे पात्र हैं पदों के लिए आवेदन करना चाहिए। केवल PH (PWD) 40% वाले व्यक्तियों या विकलांगता के ऊपर शुल्क रियायत , उम्र- छूट, आरक्षण आदि के लिए पात्र हैं। वे सदा ही , उनके आवेदन प्रपत्र का स्वरूप , प्रिंट आउट के साथ नोटिस [परिशिष्ट -VI(फार्म-II)/(फार्म-III)/(फार्म-IV)] के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, अन्यथा PH (PWD) की स्थिति के लिए उनके दावे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

डी. पीएच उम्मीदवारों के लिए विशेष निर्देश:

(ए). दृश्य विकलांगता कम से कम चालीस प्रतिशत के साथ व्यक्तियों नेत्रहीन विकलांग उम्मीदवारों के रूप में नहीं माना जाएगा। एक आंखों उम्मीदवारों और आंशिक रूप से दृष्टिहीन उम्मीदवारों जो सामान्य प्रश्न पत्र सेट के साथ या बिना आवर्धक काँच सभी उम्मीदवारों के लिए पढ़ने के लिए कर सकते हैं और जो लेखन इंगित/आवर्धक काँच की सहायता के साथ उत्तर करने के लिए चाहते हैं परीक्षा भवन में आवर्धक का उपयोग करने की अनुमति होगी और एक मुंशी के लिए हकदार नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में अपने आवर्धक ग्लास लाने होगा। नेत्रहीन विकलांग (VH) उम्मीदवारों दृश्य विकलांग चालीस प्रतिशत की और इसके बाद के संस्करण के साथ और सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित उम्मीदवारों जबकि आवेदन फॉर्म भरने आयोग के लिए बनाया जा रहा है ऐसे अनुरोधों के अधीन OMR/कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आयोग द्वारा प्रदान की गई हो करने के लिए एक मुंशी की सहायता से लाभ उठा सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित उम्मीदवारों भी मुंशी और सममूल्य पर प्रतिपूरक समय की सुविधा के साथ VH उम्मीदवारों के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न पत्र और उत्तर शीट ब्रेल में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। नेत्रहीन विकलांग (VH), सहित दृष्टिहीन और आंशिक रूप से अंधा है , उम्मीदवारों दृश्य विकलांगता चालीस प्रतिशत की और इसके बाद के संस्करण के साथ अपने टेलर फ्रेम और BRAILLE स्लेट के साथ कागज बहियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ला सकते हैं। कोई अटेंडेंट VH/सेरेब्रल पाल्सी उम्मीदवारों की परीक्षा परिसर के अंदर की अनुमति नहीं होगी।

(वी). क्षतिपूरक छुट्टी समय का प्रावधान: नेत्रहीन विकलांग उम्मीदवारों और उम्मीदवारों सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित को आयोग के निर्णय के अनुसार, परीक्षा में प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगा ।

इ. पूर्व-सैनिक आवेदकों के लिए विशेष निर्देश: EXS आवेदकों के लिए शुल्क छूट, उम्र-छूट, की मांग आरक्षण आदि सदा ही अपने आवेदन पत्र, अपेक्षित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से (परिशिष्ट-V इस नोटिस के) प्रारूप के अनुसार के प्रिंटआउट के साथ प्रस्तुत करेगा (परिशिष्ट-I इस सूचना का) और भी [परिशिष्ट -V(A) इस नोटिस के] प्रारूप के अनुसार घोषणा अन्यथा शुल्क रियायत , के लिए अपने दावे सबमिट उम्र-छूट, आरक्षण आदि नहीं माना जाएगा।

संघ के तीन सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक के रूप में EXS आरक्षण आदि का लाभ हासिल करने के उद्देश्य के लिए ; वह पहले से ही प्राप्त कर लिया है , पोस्ट/सेवा के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के प्रासंगिक समय , EXS की स्थिति और/या उसका अधिग्रहण पात्रता वह पूरा होगा में सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी सबूत द्वारा निर्दिष्ट के रूप में इस सूचना के अनुच्छेद-9 पर निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों के साथ जुड़ने की अवधि को स्थापित करने की स्थिति में है , या अन्यथा से बर्खास्तगी या कदाचार या अक्षमता के कारण छुट्टी के माध्यम से।

एफ. पूर्व-सैनिक: एक पूर्व-सैनिक एक व्यक्ति जो कि एक योद्धा या अयोद्धा नियमित सेना , नौसेना, वायु सेना के भारतीय संघ में के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की है , और जो या तो गया सेवानिवृत्त या राहत मिली है या अपने ही अनुरोध या नियोक्ता द्वारा उसकी पेंशन अर्जित करने के बाद राहत महसूस किया जा रहा या नहीं पर ऐसी सेवा से छुट्टी दे दी का अर्थ है; या

(वी). जो सैन्य सेवा/अपने नियंत्रण और सम्मानित किया मेडिकल या अन्य विकलांगता पेंशन से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; या

(सी). जो ऐसी सेवा प्रतिष्ठान में कमी के परिणामस्वरूप से जारी किया गया है; या

ii. जो जारी किए गए इस तरह के सेवा से जुड़े हैं, अन्यथा अपने ही अनुरोध पर तुलना की विशिष्ट अवधि पूरा करने के बाद या बर्खास्तगी या कदाचार या अक्षमता , निर्वहन के माध्यम से और एक उपदान ; दिया गया है और प्रादेशिक सेना के कार्मिक अर्थात् पेंशन धारकों के लिए सतत सन्निहित सेवा या सेवा योग्यता के टूटे हुए मंत्र भी शामिल हैं; या

- iii. कर्मियों की सेना डाक जो नियमित सेना और पेंशन के साथ उनके माता-पिता सेवा के लिए प्रत्यावर्तन के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त का हिस्सा हैं, या सेना डाक सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर जारी किया गया है सेवा से या सैन्य सेवा या अपने नियंत्रण और सम्मानित किया मेडिकल या अन्य विकलांगता पेंशन से परे परिस्थितियों द्वारा बढ़; या
 - iv. कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले अधिक से अधिक छह महीने के लिए सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
 - v. प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या
 - vi. पूर्व-रंगरूटों सवार या मेडिकल ग्राउंड पर राहत मिली और चिकित्सा विकलांगता पेंशन दी गई।
- जी. कॉल' सेवा की अवधि 'तक एक EXS की सशस्त्र बलों में भी नियमों के अनुसार आयु छूट के प्रयोजन के लिए सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा का विशेष प्रमाण पत्र या नौसेना या वायु सेना में संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम इस सूचना के अनुच्छेद-9 के साथ निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 15 वर्ष की सेवा की हो, को ग्रुप 'सी' पोस्ट के नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। इस प्रकार, उन गैर-स्नातक भूतपूर्व सैनिक जो 15 साल सेवा के रूप में इस सूचना के अनुच्छेद-8 पर निर्धारित आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर सेवा पूर्ण नहीं की हो, उनको मानद स्नातक आवेदक के रूप में नहीं इलाज किया जाएगा।

कार्मिक विभाग & प्रशिक्षण के O.M.सं.36034/6/90-सी. आर-SCT दिनांक 24.4.92 के अनुसार, ऐसी EXS आवेदकों जो पहले से ही केन्द्रीय सरकार के तहत रोजगार प्राप्त किया उन्हें उनके पुनः रोजगार के लिए के रूप में EXS दिया लाभ का लाभ उठाने के बाद सिविल साइड में, निर्धारित पूर्व-सैनिक पर उम्र-छुट के लिए एक उच्च ग्रेड में एक और रोजगार हासिल करने के लिए पात्र हैं, लेकिन EXS एक उच्च ग्रेड में एक और रोजगार हासिल करने के लिए के लिए आरक्षण के लिए लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। वे EXS स्वीकार्य शुल्क रियायत के लिए भी पात्र नहीं होगा। इस तरह EXS इस भर्ती के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि, विभाग के कार्मिक & प्रशिक्षण के O.M. सं. 36034/1/2014-स्था-(res.) दिनांक 14.08.2014 के अनुसार, भारत सरकार अब फैसला किया है यदि किसी भी पूर्व-सैनिक नागरिक रोजगार से जुड़ने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, वह किसी भी बाद रोजगार के लिए पूर्व-सैनिकों के रूप में आरक्षण के लाभ का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, एक ex-serviceman के रूप में जल्दी के रूप में वह मिलती है किसी भी नागरिक रोजगार स्व-घोषणा /उपक्रम date-wise विवरण जिसके लिए वह के लिए प्रारंभिक नागरिक रोजगार से जुड़ने से पहले लागू किया गया था विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के बारे में चिंतित नियोक्ता के लिए देना चाहिए। इसके अलावा, यह लाभ केवल सीधी भर्ती और जहाँ भी आरक्षण लागू करने के लिए पूर्व-सैनिक है पर भर रहे हैं जो रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा।

उनके कलर सार्भिस के अंतिम वर्ष में सेवा क्लर्क शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

एच. केन्द्र सरकार असैनिक कर्मचारी (CGCE) आवेदकों के लिए निर्देश: केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों कम से कम 3 वर्ष सतत सेवा एक नियमित आधार पर (और एड हॉक के आधार पर नहीं) पर समापन की तारीख के रूप में सूचना के अनुच्छेद- 9 पर उल्लिखित आवेदन पत्रों की प्राप्ति के रूप में रेंडर नहीं है चाहिए और केंद्र सरकार तक उम्मीदवार के नियुक्ति की पेशकश Office/विभाग से मिलने वाले सिविल पोस्ट किसी भी विभाग/कार्यालयों में भारत सरकार की जहां उम्मीदवार अंत में नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाता है पकड़े हुए सेवा में रहना चाहिए। आयु छूट के लाभ का दावा करने के लिए वे हमेशा उनके आवेदन प्रपत्र, अपेक्षित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से (परिशिष्ट-IV इस नोटिस के) प्रारूप के अनुसार के प्रिंटआउट के साथ प्रस्तुत करेगा (परिशिष्ट- I इस सूचना का) और आयु-सीमा नहीं माना जा जाएगा के लिए भी एक घोषणा [इस नोटिस की परिशिष्ट -IV(ए)] अन्यथा उनके दावे सबमिट करें।

केन्द्रीय सरकार के नागरिक कर्मचारियों लागू करने के लिए किसी भी पोस्ट सदा ही अपने आवेदन पत्र, एक घोषणा [के इस नोटिस परिशिष्ट -IV(ए)] से प्रिंट आउट के साथ प्रस्तुत करेगा कि वे उनके कार्यालय सूचित किया और वे भी नहीं जो उनकी उम्मीदवारी कि बहुत मंच पर या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किया जा करने के लिए उत्तरदायी है असफल दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में किया जाएगा।

उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि यदि उनके अपने नियोक्ता से कोई संदेश उम्मीदवारों मामले में परीक्षा में प्रदर्शित होने के लिए आवेदन करने की अनुमति रोकने कि, आयोग द्वारा प्राप्त किया है, उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा।

13. दस्तावेजों के सत्यापन:

(ए) आवेदक स्व अनुप्रमाणित सुपाठ्य दस्तावेजों की प्रतियां सभी उनके प्रमाण पत्र /उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में अपने आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के समर्थन में उनके अनुप्रयोगों से प्रिंट आउट के साथ प्रस्तुत करना होगा; अनुभव; प्रतिशत अंक प्राप्त की; उम्र के

सबूत; श्रेणी का प्रमाण [SC/ST/OBC/PH (PWD) / EXS-रूप में नोटिस में दिए गए प्रारूप में] सक्षम अधिकारी से , अन्यथा उनकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर या तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में खारिज कर दिया जाएगा।

(वी) वे सभी मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेज OMR/कंप्यूटर आधारित परीक्षा, परीक्षा बाद दस्तावेजों के सत्यापन के समय में अपने आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के समर्थन में प्रस्तुत करने की स्थिति में असफल , उनका उम्मीदवारी जो उनकी उम्मीदवारी कि बहुत मंच पर या किसी भी क्रमिक स्तर पर रद्द किया जाएगा ।

(सी) उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे स्थायी रूप से वे धोखे से SC/ST/ OBC /PH (PWD) / ExS/C.G.C.E. दावा के मामले में आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं से वविज हो सकता है या आरक्षण का दावा इन श्रेणियों के लिए या आवश्यक योग्यता/अनुभव/उम्र-सबूत के स्थिति की समर्थन में झूठा प्रमाण पत्र/दस्तावेज/मार्क-शीट प्रस्तुत / आयु छूट स्वीकार्य प्रस्तुत कर रहे हों।

14. अस्वीकृति/ आवेदन रद्द करने के लिए कारणों:

अनुप्रयोगों / आवेदक की उम्मीदवारी रद्द करने के लिए उत्तरदायी हैं / सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया या तो भर्ती प्रक्रिया की कोई स्थिति में सभी या किसी भी चरण में निम्न में से भी:

आवेदन अपूर्ण होने के नाते।

हस्ताक्षर में कोई भिन्नता।

[सभी आवेदन पत्र के प्रिंट और भी अन्य दस्तावेजों पर किया हस्ताक्षर (पूरा नाम, लघु नाम नहीं) में ही होना आवश्यक है.]

स्पष्ट और सुपाठ्य तस्वीर के बिना अनुप्रयोग।

गैर-भुगतान परीक्षा शुल्क, यदि अन्यथा नहीं छूट प्राप्त की।

शुल्क भुगतान के निर्देश अनुसार नहीं है।

आयु वर्ग से नीचे / आयु वर्ग से अधिक उम्मीदवारों।

गैर अग्रेशन सुपाठ्य स्व अनुप्रमाणित प्रतियां सभी संबंधित प्रमाण पत्र / प्रिंट आउट आवेदन फार्म , अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में अपने आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के समर्थन में साथ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की ; अनुभव; प्रतिशत अंक प्राप्त की; उम्र के सबूत; श्रेणी का प्रमाण [SC/ST/OBC/PH (PWD) / EXS]।

अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/श्रेणी स्तर के रूप में समापन की तारीख पर नहीं रहा।

गलत जानकारी या गलत बयानी या भौतिक तथ्यों के दमन।

गैर-रसीद / देर से संबंधित दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियों के साथ आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट की प्राप्ति।

मोबाइल फोन ले जाने के लिए / परीक्षा परिसर/हॉल में सामान।

किसी भी अन्य अनियमितता।

गैर-दस्तावेजों के सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र का उत्पादन।

टिप्पणी: I. परीक्षा परिसर/हॉल के अंदर उम्मीदवारों को मोबाइल फ़ोनों/किसी भी अन्य संचार उपकरण लाने के लिए अनुमति नहीं है और इन निर्देशों का उल्लंघन एसएससी के भविष्य परीक्षाओं से बेदखल /DEBARMENT करना परेगा और कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।

टिप्पणी II. उम्मीदवार उसकी अपनी कलम/ HB पेंसिल, इरेज़र लाना चाहिए। उम्मीदवार उन जैसे किताबें , नोट्स और खुले पत्र , मोबाइल फोन और किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक GADGETS आदि निर्दिष्ट संस्करण के अलावा अन्य किसी भी लेख परीक्षा हॉल में नहीं लाना चाहिए।

5. चयन प्रक्रिया: सरकार जूनियर स्तर पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त किया है। तदनुसार, OMR/ कंप्यूटर आधारित उद्देश्य प्रकार एकाधिक चयन परीक्षा के माध्यम से चयन पदों के लिए भर्ती किया जाएगा।

(वी) उम्मीदवारों OMR/कंप्यूटर आधारित उनके द्वारा अपने आवेदन में दर्शाई के रूप में आवश्यक योग्यता में मार्क्स की प्रतिशतता पर आधारित परीक्षा के लिए किया जाएगा। उम्मीदवारों को 1:25 अनुपात में , यानी 25 उम्मीदवारों को हर रिक्ति के लिए उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या के उपलब्धता के अधीन छंटाई की जाएगी। उम्मीदवारों को प्रतिशत अंक के उपयुक्त कट ऑफ, पांच के गुणकों में लागू करने के द्वारा छंटाई की जाएगी। पाँच के गुणकों में बंद कटौती लागू करने के मानदंड के कारण चुना उम्मीदवारों की संख्या थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है।

(सी) OMR/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची के प्रयोजन के लिए , आयोग ने विश्वविद्यालय, संस्था द्वारा अपनाया मापदंड और खाते में अंतिम वर्ष के प्रतिशत अंक के निशान से ले गा। आयोग ने विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा विषयों/प्रत्येक वर्ष

स्नातक स्तर की पढ़ाई के मार्क्स को जोड़कर प्रतिशत अंक बढ़ाने के बजाय अंतिम वर्ष की खाते में प्रतिशत अंक / CGPA की जिम्मेदारी नहीं ले गा।

(डी) इसी प्रतिशत अंक का संकेत के बिना जहां उम्मीदवार की योग्यता CGPA में अंतिम साल मार्क बयान में संकेत दिया है , आयोग अगर इसी प्रतिशत पर पहुंचने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय में प्रमाण पत्र , संस्था द्वारा दर्शाई गई निर्धारित मापदंड का पालन करेंगे। अन्य सभी मामलों में, आयोग ने (अंतिम वर्ष मार्क बयान में संकेत दिया) CGPA के (x) 9.5 से गुणा रूपांतरण फार्मूला लागू होगा ।

उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची की मापदंड में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इस तरह संक्षिप्त सूची की मानदंडों के खिलाफ कोई अपील या प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इ) अपने अनुप्रयोगों में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी संदर्भ मूल दस्तावेजों के साथ OMR/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद आयोग द्वारा सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान , यदि यह पाया जाता है कि किसी भी अनुप्रयोग में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत जानकारी गलत है , उसकी उम्मीदवारी तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। कोई अपील या ऐसी उम्मीदवारी के खिलाफ प्रतिनिधित्व पर विचार /स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन पत्र में सही जानकारी से सुसज्जित है।

16. परीक्षा की योजना:-

EQ के रूप में मैट्रिक पदवी पर आधारित पदों के लिए, परीक्षा में एक प्रश्न के लिये एक गुण के 150 प्रश्न रहेगा, जिस पर नीचे दिए गए चार घटक कुछ इस प्रकार:-

सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति	:	25 प्रश्न
संख्यात्मक योग्यता	:	25 प्रश्न
सामान्य अंग्रेजी	:	50 प्रश्न
सामान्य जागरूकता	:	50 प्रश्न

(वी) EQ के रूप में उच्च माध्यमिक पदवी पर आधारित पदों के लिए परीक्षा में एक प्रश्न के लिये एक गुण के 200 प्रश्न रहेगा, जिस पर नीचे दर्शाया:-

सामान्य बुद्धिमता	:	50 प्रश्न
मात्रात्मक योग्यता	:	50 प्रश्न
अंग्रेजी भाषा	:	50 प्रश्न
सामान्य जागरूकता	:	50 प्रश्न

(सी) स्नातक स्तर पदों के लिए की पढ़ाई के साथ किसी भी विषय & EQ के रूप में स्नातक/पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (किसी भी विषय में विशेषज्ञता) के साथ में, परीक्षा में एक प्रश्न के लिये निम्न विषयों पर एक गुण के 200 प्रश्न रहेगा:

सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति	:	50 प्रश्न
सामान्य जागरूकता	:	50 प्रश्न
मात्रात्मक योग्यता	:	50 प्रश्न
अंग्रेजी समझ	:	50 प्रश्न

वहाँ की प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

(डी) कौशल परीक्षण टंकण/डेटा प्रविष्टि/कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षण , आदि की तरह जहां आवश्यक योग्यता में , निर्धारित, जो एक योग्यता प्रकृति का होगा आयोजित किया जाएगा।

(इ) OMR/कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा।

(एफ) टाई के मामलों का समाधान: मामले में दो या दो से अधिक उम्मीदवार एक ही निशान OMR/कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सुरक्षित , टाई निम्न प्रक्रिया द्वारा हल किया जाएगा:

अधिक आयु वाले उम्मीदवार के साथ जन्मतिथि के आधार पर मेरिट में ऊपर रखा जाएगा।

पहले उम्मीदवारों के नाम के वर्णमाला क्रम।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: OMR/कंप्यूटर आधारित परीक्षा चयन पदों के लिए चयनित शहरों/केंद्रों में ही आयोजित किया जाएगा और आयोग की पहचान केन्द्रों में से किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परीक्षा केन्द्र का आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और केंद्र के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध/अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति के लिए सिफारिश:

आयोग को उम्मीदवारों का हर श्रेणी [अर्थात् SC/ST/पिछड़ों/PH (PWD) / ExS/सामान्य (UR)] के लिए, जहाँ भी लागू हो, कंप्यूटर आधारित/ OMR आधारित एकाधिक पसंद OMR परीक्षा/कौशल परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक ठीक करने के लिए पूर्ण विवेक होगा। परीक्षा और कौशल परीक्षण के बाद, जहाँ भी लागू हो, आयोग OMR/कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची, प्रस्तुत करेगा। आयोग ने न्यूनतम योग्यता को OMR/कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों में कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किए हैं। मेरिट सूची में स्थान पर आधारित, विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारों को विज्ञापित रिक्तियों की संख्या बराबर उनके न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स के आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के अधीन नियुक्ति, के लिए सिफारिश की जा जाएगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों, जो अपनी योग्यता के बिना शिथिल मानकों (यानी लघु लिस्टिंग मापदंड और आयु सीमा में छूट) पर चुने जाते हैं, रिक्तियों का आरक्षित साझा के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को समग्र योग्यता सूची में अपनी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां हैं, अगर किसी भी विज्ञापित, अलग-अलग से पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों जो मेरिट में कम कर रहे हैं के बीच भरा जाएगा।

एक PH (PWD) उम्मीदवार जो चयन और संक्षेप में मापदंड लिस्टिंग में छूट का लाभ उठाने के बिना उसकी संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए तय मानकों को पूरा करता है ऐसी श्रेणियों के लिए अनारक्षित रिक्ति के प्रति संस्तुत किया जा सकता है बशर्त कि उस विशेष श्रेणी की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त की पहचान की है।

भूतपूर्व सैनिक अथवा शा.दि.(PWD) श्रेणी के उम्मीदवार जो शिथिल मानकों के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है उन्हें केवल आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। पूर्व - सैनिक/PH उम्मीदवारों के मामलों का संबंध में जहां तक, आयु छूट आरक्षित या अनारक्षित पदों के खिलाफ जाइज़ है और ऐसी छूट आयु के संबंध में शिथिल मानकों के रूप में कहा जा सकता है।

परीक्षा में सफलता ही नियुक्ति के लिए अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि सरकार ऐसी जांच/ दस्तावेजों के सत्यापन, जो आवश्यक समझी जाए, के बाद संतुष्ट न हो कि उम्मीदवार संगणनीय सेवा/पोस्ट पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है।

17. रोजगार के अवसरों के लिए बेरोजगारों की पहुँच बढ़ाने की सरकार की पहल के अनुसरण में, आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अपनी वेबसाइटों पर, जो काट के निशान उनके द्वारा अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक के साथ उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मिलना विभिन्न पदों के लिए, लागू गैर-चयनित उम्मीदवारों का विवरण अपलोड करेंगे। इतनी इच्छा, इसका उद्देश्य यह है अन्य निजी/सार्वजनिक एजेंसियों अगर वे चाहे तो अपने संगठन में पदों के लिए भर्ती करने के लिए इस डाटा को प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फार्म में अपने विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों के डेटा जो प्रकटीकरण योजना का विकल्प नहीं भरते हैं, वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

18. कोई व्यक्ति

(ए). जो मैं प्रवेश किया है या किसी व्यक्ति के साथ रहने वाले एक पति या पत्नी एक विवाह अनुबंधित; या

(व). जो, एक पति या पत्नी रहते हैं, होने में प्रवेश किया है या किसी भी व्यक्ति के साथ एक शादी के अनुबंध सेवा, नियुक्ति के लिए पात्र हो, बशर्त कि केन्द्र सरकार हो सकता है, अगर संतुष्ट कि इस तरह शादी व्यक्तिगत ऐसे व्यक्ति और दूसरी पार्टी के लिए लागू कानून के तहत शादी के लिए जाइज़ है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम की कार्रवाई से छूट जाएगा।

19. अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के उम्मीदवार

एक उम्मीदवार अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में हो और किसी भी शारीरिक सेवा के एक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के साथ हस्तक्षेप की संभावना दोष से मुक्त करना होगा। एक उम्मीदवार जो, ऐसी चिकित्सा परीक्षा के रूप में सक्षम

प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं पाया गया है के बाद नियुक्त नहीं किए जाएँगे। केवल ऐसे उम्मीदवार के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा करने के लिए की संभावना कर रहे हैं चिकित्सकीय जांच की जाएगी।

टिप्पणी : विकलांग पूर्व रक्षा सेवा कर्मियों के मामले में , Demobilisation चिकित्सा बोर्ड द्वारा रक्षा सेवाओं की फिटनेस का एक प्रमाण पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त विचार किया जाएगा।

20. दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई:

(i) उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन फार्म भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई भौतिक जानकारी जो झूठे हैं दबाने नहीं चाहिए। उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे कोई मामला में छेड़छाड़ या अन्यथा किसी दस्तावेज़ में किसी भी प्रविष्टि के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए या अनुप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि उनके द्वारा प्रस्तुत की और न ही वे एक छेड़छाड़/गढ़े दस्तावेज़ प्रस्तुत करना चाहिए। अगर कोई अशुद्धि या किसी भी विसंगति पाई जाती है, तो इस विसंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) निम्न में से किसी में दोषी पाए गए उम्मीदवारों के संबंध में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई/debarment 3 वर्षों तक के लिए पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो , उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण पर सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी:-

परीक्षा केन्द्रों के परिसर के भीतर मोबाइल फोन और सहायक उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कब्जे में चाहे वह इस्तेमाल हो या स्विच बंद किया गया मोड और व्यक्ति पर या अन्यथा में।

गलत कामों में शामिल पाए जाने पर।

परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर।

किसी भी तरह से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया हो।

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपित / प्रतिरूपण की खरीद किया हो ।

सबमिट करने हेतु जाली दस्तावेज़ या दस्तावेज़ जो फेरबदल किया गया है।

बनाने बयानों जो गलत या झूठी या तय सामग्री जानकारी कर रहे हैं।

परीक्षा के लिए उसे अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अन्य अनियमित या अनुचित करने के लिए सहारा का मतलब है।

परीक्षा हॉल में किसी भी अन्य तरीके से निरीक्षक, निरीक्षक या आयोग के प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार।

परीक्षा के संचालन के परीक्षा हॉल से उतर पत्रक अपने साथ उठाकर ले गया हो, या यह अनाधिकृत व्यक्तियों को दिया हो।

डराना या परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को शारीरिक नुकसान पैदा कर रहा है।

21. पक्षप्रचार

किसी भी रूप में पक्षप्रचार करने पर आवेदक को अयोग्य घोषित कर दी जाएगी।

22. आयोग के निर्णय अंतिम

पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति करने , झूठी सूचना के लिए दंड , चयन विधि , परीक्षा (ओं) के संचालन के लिए परीक्षा केन्द्र के आवंटन तथा चयन संबंधित के , भी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

23. न्यायालयों/न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार

इस भर्ती के संबंध में किसी भी विवाद उस न्यायालयों/अधिकरणों के अधीन होगा जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान जहाँ कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं अर्थात् गुवाहाटी, असम का अदालतों/अधिकरणों में।

क्र.सं.	परिशिष्ट सं.	जाति / समुदाय / श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी	
1.	परिशिष्ट -I(ए)	ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए निर्देश / आवेदन को भरने के लिए निर्देश		
2.	परिशिष्ट -II	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	i.	जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिल्हा न्यायदंडाधिकारी / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी बैतनिक न्यायदंडाधिकारी / उप डिवीजनल मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
			ii.	चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
			iii.	राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं।
			iv.	उस क्षेत्र के उप डिवीजनल अधिकारी जहां आवेदक अपने परिवार सामान्य रूप से रहता ।
			नोट:	अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए तमिलनाडु राज्य से संबंधित राजस्व डिवीजनल अधिकारी से ही जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
3.	परिशिष्ट -III	अन्य पिछड़ा वर्ग	i.	जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट-कलेक्टर/उप आयुक्त / अतिरिक्त उप आयुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट / उप-संभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए)।
			ii.	चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
			iii.	राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं।
			iv.	उस क्षेत्र के उप डिवीजनल अधिकारी जहां आवेदक अपने परिवार सामान्य रूप से रहता ।
			नोट:	आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि आवेदक की अन्य पिछड़ा वर्ग दर्जे की गणना तिथि के रूप में ली जाएगी और यह मानते हुए कि आवेदक क्रीमी लेयर में नहीं आता है।
4.	परिशिष्ट-III (ए)	स्वयं आवेदकों		
5.	परिशिष्ट-IV	सीजीसीई	कार्यालय प्रधान या विभागीय प्रधान	
6.	परिशिष्ट-IV(ए)	ईए/सीजीसीई	स्वयं आवेदकों	
7.	परिशिष्ट-V		कमांडिंग आफिसर	
8.	परिशिष्ट-V(ए)	भूपसै	स्वयं आवेदकों	
9.	परिशिष्ट-VI	फार्म-II	शा.वि सदस्यों/ मेडिकल बोर्ड के प्रधान और चिकित्सा अधीक्षक/मु.चि.अ. / चिकित्सालय के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।	
		फार्म-III		
		फार्म-IV		

कार्यविधि/निर्देश / ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रस्तुतीकरण

चयन पदों के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost/> पर स्वयं पंजीकरण करना होगा। उम्मीदवार एक बार रजिस्टर कर सकते हैं और किसी भी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पंजीकरण सुविधा वेबसाइट <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost/> पर साल भर में उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है

उम्मीदवार को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म / आवेदन पत्र भरने से पहले वेबसाइट <http://ssconline.nic.in/sscselectionpost/> के पंजीकरण /ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में दिए गए निर्देशों को सावधानी से पढ़ना चाहिए।

निर्देशों को पढ़ने के बाद उम्मीदवारों को पंजीकरण भाग में जाना चाहिए और ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना चाहिए।

पंजीकरण भाग में, उम्मीदवारों को उन से संबंधित बुनियादी जानकारी भरना होगा। विवरण प्रस्तुत करने पर, उम्मीदवारों विवरण और बनाओ, सुधार, यदि कोई प्रपत्र सबमिट करने से पहले जाँच करने के लिए संकेत दिया जाएगा।

उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन प्रपत्रों को भरते समय सभी आवश्यक विवरण प्रदान करना चाहिए। आवश्यक क्षेत्र को * (तारांकन चिह्न) साइन से चिह्नित किया गया है। पंजीकरण फार्म प्रस्तुत करने पर पंजीकरण आईडी और पासवर्ड के साथ एक पृष्ठ दिखाई देगा। पंजीकरण आईडी और पासवर्ड को लिख लें तथा उसे सुरक्षित रखें। यह अपने स्थायी पंजीकरण आईडी और पासवर्ड होगा जो चयन पदों के आवेदन के लिए आवश्यकता होगी। पंजीकरण प्रपत्र के प्रस्तुत करने के बाद, उम्मीदवार निर्धारित आकार और हस्ताक्षर की उसकी नवीनतम रंगीन तस्वीर अपलोड करना चाहिए।

तस्वीरों में से फ़ाइल के डिजिटल आकार 4 kb से अधिक और कम से कम 20 kb 100 पिक्सेल चौड़ाई और 120 पिक्सेल ऊंचाई के संकल्प के साथ होना चाहिए। हस्ताक्षर jpg स्वरूप में अपलोड किया जाना चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर फ़ाइल का आकार 1 kb से अधिक और कम से कम 12 kb 60 पिक्सेल ऊंचाई के साथ 40 पिक्सेल के संकल्प के साथ होना चाहिए।

उम्मीदवार केवल तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद पंजीकरण पूरा हो जाता है। पंजीकरण भाग के पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं और आवेदन पत्र को भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीदवारों नोटिस में निर्देश ध्यान से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले पढ़ना चाहिए। (डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) ऑन लाइन आवेदन की सुविधा 03.09.2016 से 02.10.2016 (5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों, जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वह 02.10.2016 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखाओं बैंक में भुगतान कर सकते हैं। चालान जनरेशन सुविधा 02.10.2016 (5.00 बजे) से पहले जनरेट किया गया हो। आवेदन भाग भी भुगतान विवरण के सुविधा केवल उसी दिन तक ही है।

भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने के लिए, उम्मीदवार अनुप्रयोग भाग के पूरा होने के बाद ऑनलाइन उत्पन्न चालान के प्रिंट-आउट ले और अपेक्षित शुल्क भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा करना चाहिए। इसके बाद, अपने पंजीकरण आईडी और पासवर्ड के साथ सिस्टम में लॉग इन करें और विवरण निर्धारित दिनांक और समय के भीतर जमा करें।

आवेदन पत्र में परिवर्तन सुधार के लिए किए गए अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

बिना तस्वीर/हस्ताक्षर या Blurred तस्वीर/हस्ताक्षर के साथ या किसी भी तरीके से अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा।

परिशिष्ट-II

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्य बनने के लिए अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र में जिला अधिकारी या उप डिवीजनल अधिकारी या उस जिले जिस में अपने माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दर्शाई गई किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हों, से प्राप्त प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करना चाहिए। यदि उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिस में उम्मीदवार अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहाँ कहीं भी तस्वीर प्रमाण पत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, आयोग ने केवल ऐसे प्रमाण पत्र और नहीं किसी भी अन्य स्व अनुप्रमाणित या सत्य प्रति की फोटोकॉपी स्वयं सत्यापित स्वीकार करेंगे।

(भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....
बेटे/बेटी..... के गांव/शहर के
जिला/प्रभाग में*..... राज्य संघ क्षेत्र*..... के
जाति/जनजातियों से संबंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्रों आदेश, 1951*.....
- संविधान (अनुसूचित जनजातियों) संघ राज्य क्षेत्रों आदेश, 1951*.....
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित।
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा क्रम (संशोधन) अधिनियम, 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंशमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
- संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962
- संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 @
- संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 @
- संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 @
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 @
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 @
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 @
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 @
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 @
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 @
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

%2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व्यक्ति जो एक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से माइग्रेट है के मामले में लागू है।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*.....के माता/पिता
श्री/श्रीमतीनिवासी
गांव/शहरके जिला/प्रभाग में*..... राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र*..... को जारी किए गए अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया
जाता है जो दिनांक..... द्वारा जारी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/या* उनका परिवार सामान्यतः गांव/शहर
..... जिला/प्रभाग*..... राज्य/संघ राज्यक्षेत्र.....
में रहता है

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

** पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर के साथ)

* कृपया जो लागू नहीं कर रहे हैं शब्दों को हटाएँ।

@ कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो पैराग्राफ लागू नहीं है उसे हटाएँ।

नोट: यहाँ आमतौर पर इस्तेमाल किया हुआ शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

** जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:

- जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उप आयुक्त / उप जिल्हाधिकारी / प्रथम श्रेणी के बैतनिक मजिस्ट्रेट / उप डिवीजनल मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
- चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
- क्षेत्र के उप डिवीजनल अधिकारी जहां आवेदक और / या अपने परिवार सामान्य रूप से रहता है।

नोट:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को संबंधित राजस्व डिवीजनल अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/कन्या.....
 ग्राम/शहर
 जिला/संभाग राज्य
समुदाय से संबंधित है जो भारत सरकार की सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के संकल्प सं.....दिनांक*.....
 के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08.09.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों /वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

दिनांक.....

जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त आदि।

(कार्यालय की मोहर)

*- जो प्राधिकारी ये प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उन्हें जहां भी उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग का उल्लेख किया है, वहाँ भारत सरकार के संकल्प संख्या का विवरण देना होगा।

**- समय-समय पर यथा संशोधित।

नोट: ए. यहाँ प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व लोगों अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

वि. सक्षम प्राधिकारी जो जाति प्रमाण-पत्र जारी करेगा की सूची नीचे दी गई हैं:

- जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उप आयोग / उप जिल्हाधिकारी / प्रथम श्रेणी के बैतनिक मजिस्ट्रेट / उप डिवीजनल मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो।
- चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
- क्षेत्र के उप डिवीजनल अधिकारी जहां आवेदक और / या अपने परिवार सामान्य रूप से रहता है।

परिशिष्ट -III(ए)

आयु में छुट, आरक्षण आदि के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदकों द्वारा जमा किए जाने वाले घोषणा

[कृपया नोटिस के अनुच्छेद-12(वी) को देखें]

में.....श्री.....के पुत्र/पुत्रीग्राम/नगर/शहर जिलाराज्य
 का निवासी एतद्वारा घोषणा करत/करती हूं कि मैं समुदाय से संबंधित हूं जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं..... दिनांक..... के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य के लिए एक पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय जापन दिनांक 8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।

स्थान:

दिनांक:

* आवेदक के पूरे हस्ताक्षर

APPENDIX – IV

परिशिष्ट –IV

आयु में छुट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी/आवेदक कार्यरत है)
[कृपया नोटिस के अनुच्छेद-12(एच) को देखें]

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जोरु..... के वेतनमान में.....के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें दिनांक..... को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर)

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों, उन्हें हटाएँ.)

परिशिष्ट –IV(ए)

केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के घोषणा सहित सभी आवेदककर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा
[कृपया नोटिस के अनुच्छेद-12(एच) को देखें]

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने कार्यालय /विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासि लंबित है या अवेक्षित है।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ

नियुक्ति का तिथि :

वर्तमान पद तथा वेतनमान :

दूरभाष सं./फैक्स/ई-मेल सहित कर्मचारी का नाम के व :

व पता

स्थान तथा दिनांक :

* आवेदक के पूरे हस्ताक्षर

सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए प्रमाण पत्र का स्वरूप

(संगठन के पत्र शीर्ष पर)

[कृपया नोटिस के अनुच्छेद-12(इ) को देखें]

मैं एतद्वारा, यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार (सं.)..... (रैंक).....

(नाम)..... (तारीख)..... को सशस्त्र बलों में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

दिनांक:

(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय सील:

परिशिष्ट –V(ए)

भूतपूर्व सैनिक आवेदक द्वारा दिए जाने वाला घोषणा

[कृपया नोटिस के अनुच्छेद-12(इ) को देखें]

मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति नियुक्ता प्राधिकारी की मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत जारी निर्मुक्ता/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक (समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) के शर्तों के अधीन भूतपूर्व सैनिक को देय लाभों का अधिकारी हूँ।

मैं यह भी समझते हूँ कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले नागरिक पक्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, आदि सहित) में भूतपूर्व सैनिक के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए किसी भी रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त का पात्र नहीं हूंगा/हूंगी।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूँ:

- ए. सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तारीख :
वि. कार्यमुक्त की तारीख :
सि. सशस्त्र बलों में सेवा की अबधि :
डि. मेरी अंतिम इकाई / वाहिनी :
इ. पुनः रोजगार, यदि कोई हो का ब्यौरा :

स्थान तथा दिनांक:

* आवेदक के पूरे हस्ताक्षर

विकलांगता प्रमाण पत्र
(विच्छेदन या अंगों के पूर्ण स्थायी पक्षाघात के मामले में और दृष्टिहीनता के मामले में)
(नियम 4 देखें)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)		विकलांगता के साथ व्यक्ति की हाल ही में लिया गया पास पोर्ट आकार की अनुप्रमाणित तस्वीर (केवल चेहरा की)
प्रमाण पत्र सं.-----		दिनांक:-----
<p>प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/ कुमारी पत्नी-बेटे/बेटी श्री जन्म तिथि आयु (दि./मा./व.) वर्ष..... पुरुष/महिला.....की सावधानीपूर्वक जांच की है। पंजीकरण सं..... स्थायी आवास मकान नं..... सड़क/वार्ड/गांव..... डाकघर..... जिला..... राज्य..... जिसकी तस्वीर ऊपर चिपका है और मैं संतुष्ट हूँ कि:</p> <p>(ए) उनका मामलः</p> <ul style="list-style-type: none"> • गतिविषयक विकलांगता • दृष्टिहीनता <p>(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)</p> <p>(वि) उनके मामले में..... निदान किया गया है।</p> <p>(ए) वे दिशा निर्देशों के अनुसार अपने.....(शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में..... % (अंकों में)प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक हानि/ दृष्टिहीनता से पीड़ित है।</p> <p>2. आवेदक ने आवास प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा किए हैं:-</p>		
दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण
		(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी की प्राधिकृत हस्ताक्षर और सील)
उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप जिसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।		

=0=0=0=